न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 23/2018 अपील

1. भावनेश पिता हरिशंकर ब्राह्मण, आयु 52 साल, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. लोकेन्द्र पिता निरंजन ब्राह्मण आमेटा, आयु 42 साल, धन्धा व्यापार, निवासी जे.के. सीमेन्ट कॉलोनी, कैलाश नगर, निम्बाहेड़ा।
3. रजनीश पिता निरंजन ब्राह्मण आमेटा, आयु 38 साल, धन्धा खेती एवं व्यापार, निवासी हुडको कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
4. हेमेन्द्र पिता निरंजन ब्राह्मण आमेटा, आयु 35 साल, धन्धा खेती एवं व्यापार, निवासी हुड़को कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।

— अपीलाण्ट

//बनाम//

1. नन्द किशोर पिता उंकारलाल ब्राह्मण, आयु 80 साल, धन्धा खेती, निवासी शम्भुपुरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
2. विकास पिता जगदीशचन्द ब्राह्मण, आयु 33 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. श्रीमती कला पत्नी सत्यनारायण ब्राह्मण, आयु 65 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. बालमुकन्द पिता वरदीचन्द ब्राह्मण, आयु 60 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. कैलाश पिता वरदीचन्द ब्राह्मण, आयु 58 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. ओम पिता वरदीचन्द ब्राह्मण, आयु 56 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
7. राजु पिता वरदीचन्द ब्राह्मण, आयु 54 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
8. प्रहलाद पिता तुलसीराम ब्राह्मण, आयु 48 साल, धन्धा खेती, निवासी फलवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
9. मु. शारदा बेवा कन्हैयालाल ब्राह्मण, आयु 55 साल, धन्धा गृह कार्य, निवासी फलवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

— रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. रा.अधि.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 327 व 328 न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा
निर्णय दिनांक 29.06.2018
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट सं. 2,3,4,6,7,8,9

निर्णय दिनांक 22.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट क्रमांक 1 भावेश एवं अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 के पिता निरंजन की ओर से एक दावा माननीय न्यायालय में घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर रखा है। इस दावे में अपीलाण्ट ने विवादित भूमि ग्राम फलवा की आराजी नं. 374, 501, 502, 503, 504, 509 कुल किता 6 कुल रकबा 2.2900 हैक्टेयर कुल लगान 30.18 रूपये इस कृषि भूमि के बंटवारा हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा में प्रकरण संख्या 331/2013 वाद पेश कर रखा है जिसमें सुनवाई जैरकार है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा ने रेस्पोण्डेंट के खिलाफ इस प्रकरण की सुनवाई तक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. में स्थगन आदेश जारी कर रखा है और यह आदेश दिनांक 14.07.2015 को दोनों पक्षों को सुनकर अपीलाण्ट के पक्ष में रेस्पोण्डेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है। इस आदेश के फर्द अहकाम पर रेस्पोण्डेंट के भी हस्ताक्षर हैं। इस प्रकरण में मूल दावे में सुनवाई अभी चल रही है। इस प्रकरण में मूल दावे के विचाराधीन काल में न्यायालय का स्थगन आदेश होते हुए भी रेस्पोण्डेण्ट नन्दकिशोर एवं वरदीचन्द के वारिसान ने दौराने दावा न्यायालय के अस्थाई आदेश का उल्लंघन करते हुए विवादित भूमि का 1/8 हिस्सा तथा कला बाई पत्नी सत्यनारायण ने 1/15 हिस्सा एवं वरदीचन्द के वारिसान कन्हैयालाल, ओम प्रकाश, कैलाश व राजु ने 4/15 हिस्सा प्रहलाद पिता तुलसीराम, शारदा बेवा कन्हैयालाल को विक्रय कर दिया और इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 328 तस्दीक कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसके ग्राउण्ड ऑफ आब्जेक्शन यह है कि माननीय न्यायालय ने पक्षकारों के अधिकारों के सम्बन्ध में विवाद विचाराधीन होते हुए, रेस्पोण्डेंट ने जानबुझ कर मेलाफाईड इंटेशन से न्यायालय से स्थगन आदेश के जारी होते हुए भी विवादित कृषि भूमि दिनांक 25.06.2018 को विक्रय कर दस्तावेज निष्पादित कर दिनांक 26.06.2018 एवं 27.06.2018 को पंजीयन करा दिया। यह हस्तान्तरण सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत शुन्य है। इस प्रकार ऐसे दस्तावेजों के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विवादित भूमि में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना शेष है जिसकी जानकारी रेस्पोण्डेंट्स को भी है। फिर भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जानबुझ कर न्यायालय के स्थगन आदेश के होते हुए भी जो नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह विधि विधा के विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भी मननीय न्यायालय द्वारा हस्तान्तरण एवं यथास्थिति का आदेश दिया था जिसका नोट भी लगा हुआ था। इन सभी तथ्यों को दरकिनार कर जो नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2018 को निष्पादित किया गया तथा दिनांक 26.06.2018 एवं 27.06.2018 को उसका पंजीयन कराया और दिनांक 28.06.2018 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। इसकी कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी तथा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिए नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। पहली बार जानकारी दिनांक 25. 10.2018 को हुई। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। जानकारी के अभाव में इसे पेश करने में जो देरी हुई है वह क्षम्य योग्य है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का जारी नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट्स संख्या 1, 5 व 10 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोण्डेंट्स संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया ने उपस्थिति दी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट ने प्रार्थी के कथनों को गलत बताते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने तथा अपील को देरी से पेश किये जाने से खारीज करने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 327 व 328 ग्राम फलवा की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट ने ग्राम पंचायत फलवा के नामान्तरकरण संख्या 325, 327, 328 व 46 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है तथा उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेड़ा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 331/2013 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 295/2013 की पत्रावली एवं आदेशिका की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। साथ ही विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2018 की छायाप्रतियां व न्याय व्यवस्था 1989 आरआरडी पेज संख्या 224 की प्रति प्रस्तुत की है। साथ ही धारा 151 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 46 को निरस्त किये जाने की भी मांग की।

बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तर्क प्रस्तुत किये की प्रकरण में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। दिनांक 29.06.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2018 को एक ही दिन आदेश पटवारी द्वारा भरा गया, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई व तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा तस्दीक किया गया। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत उक्त हस्तान्तरण निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। दिनांक 04.05.2015 की न्यायालय आदेशिका में प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ था। सबकी उपस्थिति में आदेश हुए थे। रेकार्ड पर इसका नोट भी लगा हुआ है। नामान्तरकरण उप पंजीयक नहीं, तहसीलदार द्वारा खोला जाता है। प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 46 का कोई प्रश्न लम्बित नहीं है इसलिए धारा 151 सीपीसी का आवेदन पत्र एब्युस ऑफ कोर्ट है जो निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया की दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र, दोनों ही प्रकरण तलबी में थे जिसमें रेस्पोण्डेंट्स की तामिल नहीं हुई थी इसलिए पक्षकारों को स्थगन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। इंतकाल संख्या 327 में नंदकिशोर पिता उंकारलाल विक्रेता है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र में कोई सहायता नहीं चाहने से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश नंदकिशोर पर लागु नहीं होता है। अपीलाण्ट ने भी उक्त स्थगन आदेश के बावजूद विक्रय किये हैं। रेस्पोण्डेंट्स ने अपने हक हिस्से तक रजिस्ट्री करवाई है जिससे अपीलाण्ट्स के हिस्से प्रभावित नहीं होते हैं। साथ ही धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ विलम्ब का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है। दावे व प्रार्थना पत्र के पक्षकार पृथक पृथक हैं। सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा दावे के पक्षकारों का अधिकार पत्र प्रस्तुत किया था। 212 के पक्षकारों की ओर से कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने बहस पर मनन किया। मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। विवादित भूमि पर इसी न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। रेस्पोण्डेंट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के दौरान विक्रय किया गया है। जहां तक तामिल नहीं होने का प्रश्न है तो दिनांक 14.07.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पक्षकारान उपस्थित हुए थे जिनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर प्रकरण संख्या 295/2013 की आदेशिका पर अंकित है। हम अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट के इस कथन से सहमत नहीं है कि सभी विपक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं है। 1 विपक्षी को छोड़कर सभी के हस्ताक्षर हैं। और उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करने से यह भी प्रमाणित होता है कि विपक्षीगण को वाद, अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र एवं स्थगन आदेश की जानकारी थी। ऐसी स्थिति में जानकारी के उपरान्त भी दौराने दावा किया गया हस्तान्तरण उचित नहीं है। अपीलाण्ट दूरस्थ ग्रामीण अंचल के कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्हें कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पोण्डेंट ने धारा 151 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा इन्तकाल संख्या 46 दिनांक 14.07.2015 को भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त करने की मांग की है। रेस्पोण्डेंट ने कोई काउण्टर अपील प्रस्तुत नहीं की है। इन्तकाल संख्या 46 पर यदि रेस्पोण्डेंट को कोई आपत्ति है तो वे पृथक से अपील करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 327 व 328 दिनांक 29.06.2018 ग्राम पंचायत फलवा निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त इन्तकाल में वर्णित विवादित भूमि मौजा फलवा की निरस्त दोनों इन्तकाल से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 22.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:16:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: